

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)



जल सम्बन्धी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की "जीवन सुगमता" को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.यस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.यस.एम. को प्रस्तुत किये जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई एस ए द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख— २१२१२३

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख— ११२१२३
डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख—

2. ग्राम का नाम एवं जनगणना कोड—

ग्राम पंचायत का नाम—काचीपांवा ब्लॉक का नाम—कृष्णपांवा जिला का नाम—कृष्णपांवा राज्य का नाम—उत्तराखण्ड
(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

3. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) मर्यादी कुंडों को और (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् घटे निर्धारित गुणवत्ता वाले एल.पी.सी.डी. जल के आपूर्ति वर्ष तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे। यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का ५% प्रबंधन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जायेगा और जल आपूर्ति के प्रबंधन में योगदान किया जायेगा

*पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जायेगा

॥ ग्राम पंचायत और या इसकी उप समिति ए अर्थात् वी.डब्ल्यू.यस.सी./पानी समिति प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गावं में जल आपूर्ति योजना की आयोजन कार्यान्वयन प्रबंधन प्रबंधन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी

(ग्राम पंचायत और या इसकी उप समिति)—उप समिति

समिति को क्या कहा जाता है—ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति

अध्यक्ष का नाम—श्री/श्रीमती शामें के द्वे

लिंग—पुरुष/महिला

आयु— ५९

क्र.सं.	सदस्य का नाम	लिंग	आयु
1.	<u>राम के</u>	स्त्री	५१
2.	<u>पूर्ण लाल</u>	२. नी.	३१
3.	<u>सोनी वर्मा</u>	स्त्री	३०
4.	<u>गीरा</u>	"	२०
5.	<u>आमेशोकुमार</u>	पुरुष	२३
6.	<u>बोदी</u>	स्त्री	६०
7.	<u>राधी गुल</u>	पुरुष	३०
8.	<u>कम्पा देवी</u>	स्त्री	५४
9.	<u>दम्पाल</u>	पुरुष	६०
10.	<u>भाई</u>	"	६०
11.	<u>छोटे-द्वे</u>	"	५०
12.	<u>पुनीत गुल्ता</u>	"	३२
13.	<u>दुष्मान</u>	"	५०
14.	<u>गोपीलोक दुमाये</u>	"	६५
15.			

III. सामान्य विवरण

2011 की जनगणना के अनुसार				वर्तमान पंचायत/आंगनबाड़ी रिकार्ड के अनुसार			
2010	ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले गामों के नाम	योग	ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले गामों के नाम	योग	2010	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
जनसंख्या	—	—	—	—	—	—	—

परियारों की संख्या	५१							
महिलाओं की संख्या	१५३४							
पुरुषों की संख्या	१७९३							
बच्चों की संख्या	३१५							
एफ.एच.टी.सी. की संख्या	—							

7. जनसँख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण -वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसँख्या में 18% वृद्धि) किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसँख्या में 32% वृद्धि) किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकार्ड)

ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के ग्रामवार	योग
—	—

9. कृषि फसल पैटर्न

प्रमुख फसलें	खरीफ	रवी
गन्ना	✓	—
धान	✓	—
मक्का	—	✓
कपास	—	—
गेहूं	—	✓
अन्य	—	—

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी में) ३३०३.५५०

11. स्थलाकृत (समतल, ढाला, आदि) समतल

IV. स्थित विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्र किया गया है? (हाँ/नहीं) — हाँ (ग्राम कार्य योजना के साथ मानचित्र संलग्न करें)

13. क्या समाजिक मानचित्र किया गया है? (हाँ / नहीं) — हाँ (ग्राम कार्य योजना के साथ मानचित्र संलग्न करें)

14.

क्र.सं.	सार्वजनित संस्था का नाम	क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	सोख्ता गड्ढों की उपलब्धता? (हाँ/नहीं)
1.	स्कूल	हाँ	नहीं	हाँ
2.	आंगनबाड़ी	हाँ	“	“
3.	स्वास्थ्य केंद्र	हाँ	“	“
4.	ग्राम पंचायत भवन	हाँ	“	“
5.	अन्य	—	—	—

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसँख्या X दर: १७९६५० के.एल.डी

मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता १६२००

मवेशी कुंडों की आवश्यक संख्या १०

मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसँख्या X दर — के.एल.डी

अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसँख्या X दर — के.एल.डी

पानी आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गंगा में पानी की आपूर्ति /उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति:

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेलगाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति

18. पानी की आपूर्ति से सम्बंधित आंशिक कार्य। सोत को मजबूत करने का इतिवृत्त:

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त:

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट/वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें:

21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: